

**कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-I
महाराष्ट्र**

सं.प्रशा-I/पदोन्नती/ले.लि./2022/143

दिनांक: 30-11-2022

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित विविध कार्य कर्मचारी (MTS) को केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) (संशोधित वेतन) नियम 2016 के वेतन मैट्रिक्स (19900-63200) के वेतन स्तर 2 में लेखा लिपिक के संवर्ग में पदभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सामने दर्शाए गए कोटे में पदोन्नत किया गया है:

The following Multi Tasking Staff are promoted to the cadre of Accounts Clerk in Level 2 (Two) in the Pay Matrix (19900-63200) of CCS (Revised Pay) Rules 2016 from the quota shown against their names with effect from the date of assumption of charge:

Sl. No.	Name	Promotion Quota
1.	Shri S. S. Kasar	Seniority
2.	Shri Vijay D. Dalvi	Examination

श्री एस. एस. कासार को 18-11-2013 में दूसरी आर्थिक बढ़ोतरी मंजूर की गई है और वे लेवल 3 पर वेतन आहरण कर रहे हैं। अतः उनको आगे वेतन नियतन प्रदान नहीं किया जायेगा। श्री एस. एस. कासार को टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी जो वेतन वृद्धि अर्जित करने और पदोन्नति हेतु पात्रता के लिए अनिवार्य है।

Shri S. S. Kasar was granted 2nd MACP with effect from 18-11-2013 and is drawing pay in Level 3. Hence no further fixation is admissible to him. Shri S. S. Kasar will have to clear the typing test which is mandatory for earning increments and becoming eligible for promotion to higher post.

श्री विजय डी. दळवी को कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर लेखा लिपिक के संवर्ग में वेतन निर्धारण के अपने विकल्प का प्रयोग करना होगा और स.ले.अ./प्रशासन-II अनुभाग में जमा करना होगा। वह पहले ही टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं।

Shri Vijay D. Dalvi will have to exercise his option for fixation of pay in the cadre of Accounts Clerk within one month from assumption of charge and submit to AAO/Admn-II Section. He has already cleared the typing test.

3262
EDP

केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19/05/2009 के अनुलग्नक के पैरा 25 के अनुसार पदोन्नति के लिए मना करने पर, संशोधित सुनिश्चित कैरियर उन्नयन योजना (एम.ए.सी.पी.) के तहत कर्मियों को वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

In the event of refusal of promotion, the officials will not be eligible to be considered for financial up-gradation under the MACPS in terms of para 25 of Annexure to DoPT O.M. dated 19-05-2009.

उपरोक्त पदोन्नति आगे के आदेशों के अधीन है जो केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/11/2016-Estt.(Res-I) (Pt-II) दिनांक 15.06.2018 में संदर्भित विशेष अनुमति याचिका के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।

The above promotion is subject to further orders which may be passed by the Hon'ble Supreme Court in respect of the Special Leave Petition as referred to in DoPT O.M. No. 36012/11/2016-Estt.(Res-I) (Pt-II) dated 15-06-2018.

(प्राधिकार: प्रधान महालेखाकार का आदेश दिनांक : 30-11-2022)

हस्ता/-

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं.प्रशा-1/पदोन्नति/ले.लि./2022/543

दिनांक: 30-11-2022

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार के सचिव /प्रधान महालेखाकार के निजी सचिव
2. समूह अधिकारियों के आशुलिपिक - ग्रेड 1
3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रशा.-2-3 / स्थापना /अभिलेख -1, 2 / आं.ले.प. /प्रशिक्षण
4. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, टी.एम. /पी. एफ. (विविध) / पेंशन (विविध)
5. भुगतान व लेखा अधिकारी, लेखापरीक्षा, मुंबई 400 020
6. वरिष्ठ लेखा अधिकारी / ईडीपी (एस जी) कार्यालय की वेबसाइट में आदेश अपलोड करने के लिए
7. संबन्धित कर्मचारी
8. महासचिव, लेखा श्रेणी- III एसोसिएशन, मुंबई
9. अतिरिक्त प्रतियाँ

के.ए.रावदा

वरिष्ठ लेखा अधिकारी /प्रशासन-1